

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/(परिवीक्षा-1)/2018/

दिनांक :

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 41 के तहत वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 14(1)एफ.डी/(रूल्स)2013-II दिनांक 28.06.13 की अनुपालना में श्री दीपक कुमार शर्मा, कनिष्ठ सहायक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तूंगा, बस्सी(जयपुर) जिनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 14.10.2009 है तथा दिनांक 14.10.2011 को दो वर्ष की परिवीक्षाकाल अवधि पूर्ण करली है, को परिवीक्षाकाल अवधि पूर्ण दिनांक 14.10.2011 से 7580(5200-20200 रनिंग पै व ग्रेड पै 1900) से वेतन नियतन करते हुए स्थाई किया जाता है।

कर्मचारी को टंकण परीक्षा उत्तीर्ण तिथि 26.08.2015 से वार्षिक वेतन वृद्धि का नकद लाभ देय होगा।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राज0 जयपुर

दिनांक : 22/02/18

क्रमांक :- ई-18/एम/(परिवीक्षा-1)/2018/479

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर।
2. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तूंगा, बस्सी(जयपुर)
3. श्री दीपक कुमार शर्मा, कनिष्ठ सहायक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राज0 जयपुर